

मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक: 14.11.2022

जनपद जौनपुर से डिलीवरी हेतु बोलेरो बुक कर वाहन स्वामी/चालक का अपहरण करने वाले 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 अदद तमंचा मय कारतूस, एक चाकू व बोलेरो वाहन बरामद —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देश दिए गये हैं ।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 13.11.2022 को प्र०नि०थाना लालगंज मय पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र भ्रमणशील थे कि इस दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध सफेद रंग की बोलेरो में कुछ व्यक्ति सवार है । उक्त सूचना पर थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया तो बोलेरो चालक द्वारा वाहन की गति को बढ़ाकर पुलिस टीम को वाहन से कुचलने का प्रयास करते हुए भागने का प्रयास किया , जिसपर पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उक्त संदिग्ध वाहन को पकड़ा गया । जिसमें सवार 05 व्यक्तियों सूरज , अनुराग चतुर्वेदी उर्फ भोदू , संदीप बिन्द , विनोद उर्फ नेता व कृष्णकान्त पाण्डेय को हिरासत में लेकर नियमानुसार तलाशी ली गयी तो अभियुक्त सूरज के कब्जे से 01 अदद 315 बोर तमंचा मय 01 अदद जिंदा कारतूस, अभियुक्त अनुराग चतुर्वेदी उर्फ भोदू के कब्जे से 01 अदद 315 बोर तमंचा मय 01 अदद जिंदा कारतूस, अभियुक्त संदीप बिन्द के कब्जे से 01 अदद 12 बोर तमंचा व 02 अदद जिंदा कारतूस व अभियुक्त कृष्णकान्त पाण्डेय के कब्जे से 01 अदद चाकू पुराना लोहे का बरामद हुआ ।

वाहन की तलाशी के दौरान बोलेरो की मध्य सीट के नीचे से खून से लथपथ व गमछे मुंह बंधा हुआ एक व्यक्ति काफी डरे सहमे हुई अवस्था में मिला , जिसने अपना नाम पता दुर्गा प्रसाद दूबे पुत्र स्व०रामनिरंजन दूबे निवासी हरीपुर थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर तथा स्वयं को उक्त बोलेरो वाहन का स्वामी व चालक होना बताया । दुर्गा प्रसाद दूबे से चोट व वाहन में उक्त अवस्था में होने के बारे में पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक: 12.11.2022 को सायंकाल उपरोक्त पांचों व्यक्तियों द्वारा उसके घर आकर डिलीवरी हेतु हॉस्पिटल जाने के लिए वाहन को बुक कर ले जाते समय रास्ते में अचानक वाहन स्वामी/चालक से गाड़ी रूकवाकर सिर पर तमंचे की मुठिया से प्रहार कर मारपीट कर घायल कर दिया गया । वाहन की चाभी व मोबाइल कब्जे में ले लिया गया और मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया गया ।

जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त बोलेरो वाहन चालक/स्वामी के अपहरण के सम्बन्ध में थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर पर दिनांक: 13.11.2022 को चालक की पत्नी ममता दूबे की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०-235/2022 धारा 365 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है ।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना से सम्बन्धित उक्त पांचो अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लालगंज पर मु 0अ०सं०-315/2022 धारा 307,353 भादवि एवं मु०अ०सं०-316/2022, 317/2022, 318/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम व मु 0अ०सं०-319/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

- 1.सूरज पुत्र श्याम मिलन निवासी लोहरिया थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर, उम्र करीब-32 वर्ष ।
- 2.अनुराग चतुर्वेदी उर्फ भोदू पुत्र हरीनारायन निवासी बरहूपुर थाना महाराजगंज जौनपुर, उम्र करीब-19वर्ष ।
- 3.संदीप बिन्द पुत्र फेकूराम बिन्द निवासी गोनालपुर थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर, उम्र करीब-20 वर्ष ।
- 4.कृष्णकान्त पाण्डेय पुत्र रविन्द्र पाण्डेय निवासी लोहरियाव थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर, उम्र करीब-32वर्ष ।
- 5.विनोद उर्फ नेता पुत्र स्व०रामलखन निवासी कोपा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब-28 वर्ष ।

विवरण बरामदगी —

- 03 अदद तमंचा व 04 अदद जिंदा कारतूस, 01 अदद चाकू ।
- 01 अदद बोलेरो वाहन संख्या: UP62AD0801.

पंजीकृत अभियोग —

- 1.मु०अ०सं०-315/2022 धारा 307,353 भादवि थाना लालगंज, मीरजापुर ।
- 2.मु०अ०सं०-316/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना लालगंज, मीरजापुर ।

3. मु0अ0सं0-317/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना लालगंज, मीरजापुर ।

4. मु0अ0सं0-318/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना लालगंज, मीरजापुर ।

5. मु0अ0सं0-319/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना लालगंज, मीरजापुर ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

प्र0नि0थाना लालगंज-रामनरायन राम मय पुलिस टीम ।

(पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा पुलिस टीम को ₹ 20 हजार के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया)

